संख्या-21/2015/827/60-2-15-2/3(7)/07

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिसिन किटस का क्रय हेतु धनराशि पी.एल.ए. में रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1346/बा.वि.परि./स्टोर/2014-15, दिनांक 13.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0डी0एस0 योजना के अधीन मद संख्या-01-मेडिसिन किटस की आपूर्ति योजना के वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 17,71,66 हजार (रू0 सत्रह करोड़ इकहत्तर लाख छाछठ हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-13/2015/912/60-2-14-2/3(7)/07 दिनांक 27.03.2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि रूपये 17,69,76,446/- (रूपये सत्रह करोड़ उनहत्तर लाख छिहत्तर हजार चार सौ छियालिस मात्र) को उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार 30.09.2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-01-मेडिसिन किटस की आपूर्ति (के.90/रा.10-के.+रा.)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-616(1)/दस-2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-21/2015/827(1)/60-2-15-2/3(7)/07, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 ।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/ राज्य योजना आयोग-1।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in